लेखा-योग

149. सांगठनिक अनुपात - 2

फरवरी-मार्च 2010; मार्च 2011 में जारी

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

टिकाऊपन अनुपात • वृद्धि दर पृष्ठ 1
आत्मनिर्भरता अनुपात • निर्भरता अनुपात • इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुपात पृष्ठ 2
उचित आचरण अनुपात • दोस्ताना/अकॉमोडेटिव ऋण अनुपात • फंड संचय अनुपात • लागत वसूली अनुपात पृष्ठ 3
अन्य सांगठनिक अनुपात • पृष्ठ 4

वित्तीय अनुपातों की अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम इस अंक में सांगठनिक अनुपातों की दो और श्रेणियों पर विचार कर रहे हैं। ये श्रेणियां किसी संगठन के टिकाऊपन और उसके वित्तीय आचरण के औचित्य से संबंधित हैं।

टिकाऊपन अनुपात

ऐरी डे ग्यूज़ ने एक बार कहा था कि फॉर्च्यून-500 कंपनियों में से कम से कम एक तिहाई कंपनियां ऐसी हैं जो 1970 से 1984 के बीच अधिग्रहण, विखंडन या दूसरी कंपनियों में विलय के अनुभवों से गुजर चुकी हैं (ग्यूज़ 1997) जहां महाकाय कंपनियां भी आए दिन धराशायी हो रही हैं वहां लाभ निरपेक्ष संगठनों (एनपीओ) के लिए क्या उम्मीद हैं?

हैरानी की बात यह है कि एनपीओ यानी लाभ निरपेक्ष संगठन इससे कहीं ज्यादा लंबी उम्र वाले दिखाई देते हैं। दूसरी शताब्दी के शुरुआती सालों में बनाई गई बहुत सारी फाउंडेशन आज भी फल-फूल रही हैं। इनमें रामजस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफेम, केयर, गीता प्रेस जैसे कई अहम संस्थान शामिल हैं। उनके दीर्घजीवी होने का मुख्य कारण शायद यह रहा है कि स्वैच्छिक क्षेत्र में तनाव और प्रतिस्पर्धी व्यवहार कम रहता है।

वृद्धि दर

इस दर से हमें पता चलता है कि किसी संगठन की आय कितनी तेजी से बढ़ रही है। कम्पाउन्ड वार्षिक वृद्धि को दर्शाने वाले इस अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है - अनुपात जितना ज्यादा होगा, वृद्धि उतनी तेज होगी।

इसका हिसाब लगाने के लिए आपको यह पता लगाना पड़ता है कि संबंधित सालों में संगठन की कुल आय कितनी रही है। यह आय उस संस्था के आय एवं व्यय खाते में देखी जा सकती है। अब आप सबसे हालिया साल की कुल आय को लेकर उसे आधार वर्ष की आय से विभाजित कर दीजिए। इसके बाद जो नतीजा आता है उसका वर्गमूल या तीसरा मूल निकाल लें। वर्गमूल व तीसरा मूल का प्रयोग इस बात पर आधारित होगा कि आप कितने सालों की वृद्धि दर निकालना चाहते हैं। यह अनुपात तब सबसे अच्छी तरह काम करता है जब आपके पास कम से कम पिछले तीन साल के आंकड़े उपलब्ध हों।

अगर आपके पास तीन साल के आंकड़े हैं तो वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर आपके पास पांच साल के आंकड़े हैं तो चौथा मूल निकाल लीजिए। इस परिणाम को प्रतिशत में रूपांतरित कर लीजिए और उसके बाद मूल धन को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार घटा दीजिएः

$$\text{वृद्धि दर} = \sqrt[n-1]{\frac{\text{पिछले वर्ष की कुल आय}}{\text{आधार वर्ष की कुल आय}}} \times 100 - 100$$

(n = वर्षों की संख्या)

ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों की वृद्धि दर 30 प्रतिशत तक दिखाई देती है। जो गैर-सरकारी संगठन अपने संसाधन जुटाने के लिए ज्यादा संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं उनकी वृद्धि दर 60-70 प्रतिशत तक भी दिखाई दे सकती है। जो गैर-सरकारी संगठन काफी लंबे समय तक इससे भी ज्यादा वृद्धि दर के साथ बढ़ते हैं वे या तो दाता संस्थानों की सहायता की लहरों पर सवार होते हैं या उनका प्रबंधन बहुत ही कुशल हाथों में होता है। कुछ मामलों में उच्च वृद्धि दर इस बात का संकेत भी होती है कि वहां अनुदान जुटाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर 10 प्रतिशत से कम वृद्धि दर दिखाई देती है तो यह प्रबंधन की रुचि के अभाव या संगठन के प्रोग्रामों में दाता संस्थाओं की रुचि में भारी गिरावट का संकेत होता है। उच्च वृद्धि की स्थिति में आमतौर पर ज्यादा सावधानी के साथ वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रणों की आवश्यकता होती है।

वृद्धि दर के साथ कभी-कभी आपदा या दूसरी अपवाद जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे हालात में एनजीओ एक सीमित अवधि के लिए, जैसे दो या तीन साल के लिए काफी तेज गति से बढ़ सकता है।

www.AccountAid.net

आत्मनिर्भरता अनुपात

यह अनुपात बताता है कि संगठन के कितने खर्चे उसकी अपनी आय से पूरे किए जा सकते हैं।

अपनी आय का क्या मतलब होता है? अपनी आय में दूसरी एजेंसियों और सरकार से मिले अनुदानों को शामिल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, इसमें व्यक्तियों से मिले चंदे, स्थायी कोष/कॉर्पस से मिली आय, शुल्क या अन्य प्राप्तियों से मिली आय शामिल होती है। अनुदान निधियों पर मिलने वाले ब्याज को भी अपनी आय में नहीं गिना जाता है क्योंकि यह आमतौर पर निश्चित मदों के लिए तय होती है।

क्षरण (डैप्रीसियेशन) के अलावा बाकी सारे व्यय कुल व्यय में शामिल होते हैं। यहां लाभान्वितों के बीच वितरित की जाने वाली परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर इस्तेमाल के लिए स्थायी संपदाओं की खरीद को खर्चो के खाते में रखा गया है तो उसको खर्चो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये आंकड़े आय एवं व्यय खाते से लिए जाने चाहिए।

इस अनुपात को एक फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है :

$$\text{आत्मनिर्भरता अनुपात} = \frac{\text{कुल अपनी आय}}{\text{कुल व्यय}}$$

ज्यादातर मामलों में यह अनुपात 1 से कम होता है। यह अनुपात 1 से जितना निकट होगा, एनपीओ उतना ही ज्यादा निर्भर होगा। अगर अनुपात 1 से अधिक है तो यह इस बात का संकेत है कि संगठन इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है या अनुदानों का संचय कर रहा है।

निर्भरता अनुपात

यह अनुपात[1] इस बात का पता लगाने में मदद देता है कि कोई संगठन आय के किसी एक स्रोत पर कितना निर्भर है। किसी खास दाता पर अत्यधिक निर्भरता आपकी स्वायत्तता का नाश कर सकती है और अगर वह सहायता बंद हो जाती है तो आपके लिए भारी उथल - पुथल पैदा हो सकती है।

इस अनुपात का हिसाब लगाने के लिए हमें अनुदानों के विशालतम एकल स्रोत को पहचानना होता है (जो आमतौर पर एक दाता एजेंसी या सरकारी संस्था होती है)। अगर अलग-अलग दाता संस्थाओं का ब्यौरा आय एवं व्यय खाते में उपलब्ध नहीं है तो आपको एफसी-3 या खातों को देख कर इस बात का पता लगाना होगा।

कुल आमदनी को आय एवं व्यय खाते के आय वाले पक्ष को देखकर जाना जा सकता है।

इस अनुपात को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

$$\text{निर्भरता अनुपात} = \frac{\text{विशालतम स्रोत से आय}}{\text{कुल आय}} \times 100$$

यह अनुपात कितना होना चाहिए? जांचा-परखा नुस्खा यह है कि अगर 20 प्रतिशत का अनुपात हो तो कोई परेशानी नही हैं। अगर आप 20 प्रतिशत के ऊपर जाने लगते हैं तो आपकी स्थिति संवेदनशील होने लगती है। अगर यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से ऊपर चला जाता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह संस्था या तो दाता एजेंसी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है या फिर वह अतिसंवेदनशील स्थिति में है।

यह अनुपात किसी एनजीओ की उम्र पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे एनजीओ शुरुआती सालों में एक या दो दाता एजेंसियों के साथ ही काम करते हैं। जैसे-जैसे वे पुराने होते जाते हैं, वे और अधिक एजेंसियों को आकर्षित करने लगते हैं और किसी खास दाता संस्था पर उनकी निर्भरता घटने लगती है।

किसी खास दाता संस्था पर निर्भरता को आंकने के लिए इस अनुपात में आंशिक संशोधन भी किया जा सकता हैः

$$\text{दाता ‘क’ सहायता अनुपात} = \frac{\text{दाता ‘क’ का अंशदान}}{\text{कुल आय}}$$

इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुपात

इस अनुपात को संपत्ति अनुपात भी कहा जाता है। इसके आधार पर किसी संगठन की अचल संपत्तियों और उसकी कुल संपत्तियों के अनुपात को मापने का प्रयास किया जाता है।

इसके सहारे यह पता लगाया जा सकता है कि क्या संसाधनों का कोई बहुत बड़ा हिस्सा संपत्तियों में तब्दील होता जा रहा है या वह कार्यक्रम संबंधी संपदाओं के लिए भी उपलब्ध है? अचल संपत्तियों में संस्था के मालिकाने में खरीदी गई जमीन, ईमारत और चालू निर्माण आदि आते हैं।[2] इमारत के लिए दीर्घकालिक पट्टे[3] को भी आमतौर पर अपनी संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इन आंकड़ों को बैंलेस शीट से लिया जा सकता हैः

$$\text{इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुपात} = \frac{\text{कुल अचल संपत्तियां}}{\text{कुल स्थिर संपत्तियां}}$$

ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों की वृद्धि दर 30 प्रतिशत तक दिखाई देती है। जो गैर-सरकारी संगठन अपने संसाधन जुटाने के लिए ज्यादा संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं उनकी वृद्धि दर 60-70 प्रतिशत तक भी दिखाई दे सकती है।

सैद्धांतिक रूप से यह अनुपात अधिकतम 1 तक जा सकता है। इसके बाद स्थायी संपदाओं में किया गया समूचा निवेश जमीन - जायदाद में तब्दील हो चुका होगा! ज्यादातर एनजीओ संगठनों के लिए 0.3 का अनुपात ही सामान्य माना जाता है।

स्कूलों और अस्पतालों जैसे संगठनों के लिए यह अनुपात प्रायः अधिक होता है। जो संस्थाएं आवासीय प्रशिक्षण आदि देती हैं वे संपत्ति में ज्यादा निवेश करती हैं। यह अनुपात एनजीओ की उम्र के साथ बढ़ता दिखाई देता है। एक नवगठित एनजीओ के पास शायद कोई संपत्ति नहीं होगी जबकि 10-15 साल से चल रहे एनजीओ के पास निश्चित रूप से कुछ खरीदी गई संपत्ति आ चुकी होगी।

इस बात को जहन में रखा जाना चाहिए कि भारत में ज्यादातर जमीन - जायदाद की रजिस्ट्री को कम मूल्य पर दर्ज किया जाता है। लिहाजा, वास्तविक अनुपात संभवतः कुछ अधिक हो सकता है।

---

[1] इसे अंग्रेजी में डिपैन्डैंस रेश्यो और रिलायंस रेश्यो भी कहा जाता है (बार, 2008)।

[2] कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।

[3] 30 वर्ष या अधिक।

उचित आचरण अनुपात

'सही माने जाने वाले व्यवहार के विवरण या नियमों' को उचित आचरण कहा जाता है। हालांकि अनुचित आचरण के खिलाफ कोई कानून नहीं है लेकिन इससे आपकी बदनामी तो हो ही सकती है! दूसरी तरफ, अगर आपका वित्तीय आचरण सही है तो इससे आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। ऐसे में आप को दाता संस्थाओं और अनुदान देने वालों को आकर्षित करने में भी सफलता मिलेगी।

लाभ निरपेक्ष संस्थाओं के संदर्भ में कम से कम तीन ऐसे अनुपात हैं जिन पर ऑडिटर और दाता संस्थाएं खास तौर से ध्यान देती हैं : 1. क्या आपके पास बहुत सारे संदेहास्पद ऋण हैं? 2. क्या आप नॉन-ईयरमार्क्ड (गैर-नियत) निधियां बहुत तेजी से जमा करते जा रहे हैं? 3. क्या आप अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल के बदले में उनकी लागत से बहुत ज्यादा वसूली कर रहे हैं?

दोस्ताना/अकॉमोडेटिव ऋण अनुपात

किसी ऋण को दोस्ताना /अकॉमोडेटिव तब माना जाता है जब वास्तव में यह ऋण हाथ में नहीं आता, सिर्फ बही में एक प्रविष्टि जुड़ जाती है। यह अनुपात बही प्रविष्टियों के ऐसे दोस्ताना ऋणों के जोखिमों को आंकने में मदद देता है। इस अनुपात का हिसाब लगाने के लिए आपको पदाधिकारियों, संबंधियों, सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से लिए गए गैर-प्रतिभूति ऋणों का पता लगाना होता है। इसके बाद उनकी तुलना कुल अनुदानों से की जाती है। ये सारे आंकड़े बैलेंस शीट में मिलते हैं।

$$\text{अकॉमोडेटिव ऋण अनुपात} = \frac{\text{सदस्यों व अन्य से लिए गए गैर-प्रतिभूति अनुदान ऋण}}{\text{कुल अनुदान ऋण}}$$

ज्यादातर गैर-सरकारी संगठन बैंकों से अनुदान ऋण नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास निश्चित नकद प्रवाह या सरप्लस नहीं होता।[4] लिहाजा, ऐसी स्थितियों में ज्यादातर कर्जे गैर-प्रतिभूत ही होते हैं। वे अपने घेरे से और अकसर नकद के रूप में लिए जाते हैं। यह अनुपात कायदे में शून्य होना चाहिए। अगर यह 0.05 से अधिक चला जाता है तो अनुदानों के स्रोतों के बारे में यह पता लगाया जाना चाहिए कि वे कितने सच्चे हैं।[5]

फंड संचय अनुपात

इस अनुपात से आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि संगठन में अनुदानों का कितना संचय हुआ है। निजी अनुदानों में हमेशा नॉन-ईयरमार्क्ड अधिशेष निधियां और कॉर्पस, ऐंडोमेंट और आरक्षित निधि जैसे दूसरे अनुदान होते हैं। कुल अनुदान आमतौर पर बैलेंस शीट के देनदारियों वाले हिस्से में मिलते हैं।[6]

$$\text{फंड संचय अनुपात} = \frac{\text{पिछले तीन साल के दौरान अपने अनुदानों में वृद्धि}}{\text{पिछले तीन साल के दौरान कुल अनुदानों में वृद्धि}}$$

हालांकि इस संचय के ठोस कारण हो सकते हैं लेकिन फिर भी इस पर नजर रखना अच्छा रहता है। ऐसे संगठनों के लिए यह खासतौर से प्रासंगिक है जो जनता या अन्य स्रोतों से पैसा उगाते हैं। इसका तर्क यह है कि दाता निकाय/व्यक्ति आपके उद्देश्य में योगदान देने के लिए अक्सर अपनी निजी जरूरतों में कटौती कर लेते हैं। क्या इसके बाद भी आप ऐसे धन को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उसे जमा करते चले जाएंगे?

इस संचय की कुल जमा के रूप में और अनुपात के स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए।

यह अनुपात फाउंडेशन तथा ऐसे अन्य संगठनों के मामले में इस्तेमाल के लिए नहीं होता है जो निधि आधारित हैं और जो जनता से चंदा इकट्ठा नहीं करते।

लागत वसूली अनुपात

ज्यादातर दाता संस्थाएं रीइम्बर्समेंट आधार पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देती हैं। इसका मतलब यह है कि गैर-सरकारी संगठन को किसी परियोजना पर आई वास्तविक लागत को वसूल करने की अनुमति होती है।

लेकिन अगर कोई एनजीओ कुछ गतिविधियों के लिए खुद अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी

---

[4] स्कूल, अस्पताल और सूक्ष्म ऋण संगठनों जैसे लाभ-निरपेक्ष संस्थान बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं।

[5] कुछ मामलों में कोई एनजीओ गहनों आदि को गिरवी रखकर किसी महाजन से नकद में भी कर्जा ले सकता है।

[6] वर्टिकल बैलेंस शीट के मामले में वर्तमान देनदारियां और संपदाएं नेट ऑफ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में चालू देनदारियों का योग 'अनुदानों के स्रोत' के योग में जोड़कर कुल अनुदान निकाले जाने चाहिए।

[7] क्षरण सहित।

[8] रक्षात्मक अंतराल (डिफेंसिव इंटरवल), नकद निधि संकेतक (लिक्विड फंड्स इंडिकेटर), नकद निधि राशि (लिक्विड फंड्स एमाउंट), बचत संकेतक (सेविंग इंडिकेटर्स), नकद अनुपात (डेज़ कैश रेश्यो), विभिन्न स्रोतों से आई आय का अनुपात।

स्थिति में एनजीओ को परियोजना में उस उपयोग की लागतों की वसूली करनी होती है। यह लागत कितनी होनी चाहिए? कायदे से यह उस उपयोग की प्रत्यक्ष लागत + क्षरण की राशि का कुल योग होनी चाहिए।

मिसाल के तौर पर, अगर किसी परियोजना के लिए आंशिक रूप से एनजीओ के वाहन का इस्तेमाल किया गया है तो एनजीओ उस परियोजना से सामान्य से अधिक शुल्क काट सकता है। सवाल ये है कि क्या यह लागत ऐसे ही वाहन की बाजार भाड़े की दर से होनी चाहिए?

यह बात ज्यादातर मामलों में गलत होगी क्योंकि एक टैक्सी सर्विस की दरों में आमतौर पर मुनाफे का तत्व भी शामिल रहता है। अगर ड्राइवर की तनख्वाह किसी दूसरी परियोजना से दी जा रही है तो गाड़ी का भाड़ा और भी कम हो जाना चाहिए। इस तरह का विस्तृत विश्लेषण आमतौर पर परियोजना ऑडिटरों द्वारा किया जाता है।

सांगठनिक स्तर पर इस बात को समझना आसान रहता है। इसके लिए सामान्य अनुदान, आय एवं व्यय में आमदनी के रूप में कर वसूलियों के मूल्यों की तुलना दूसरे पक्ष पर संबंधित व्ययों के साथ करके देखिए। अगर दोनों एक-दूसरे से मेल खाते हैं या थोड़ा-बहुत अधिक हैं तो ऐसी वसूलियों को तर्कसंगत माना जाएगा। अगर वसूलियां तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आप जायज से ज्यादा वसूली कर रहे हैं। इस अनुपात का सूत्र इस प्रकार है:

$$\text{लागत वसूली अनुपात} = \frac{\text{कुल वसूली}}{\text{कुल संबंधित व्यय + क्षरण}}$$

खयाल रखें कि यह अनुपात गलत परिणामों को भी जन्म दे सकता है क्योंकि वसूलियों या व्ययों को अलग-अलग संगठन अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं। लिहाजा, इसकी बहुत सावधानी से व्याख्या की जानी चाहिए।

अन्य सांगठनिक अनुपात

लाभ-निरपेक्ष विनिमयों को समझने के लिए सिर्फ इतने अनुपातों को जानना ही काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर,
केट बार ने 14 प्रायः इस्तेमाल होने वाले अनुपातों की सूची दी है (बार, 2008)। इसी तरह हॉलमान एवं अन्य ने 2003 में आय कर रिटर्न जमा कराने वाले छः उपक्षेत्रों में सक्रिय 99,682 लाभ निरपेक्ष संगठनों के कुछ चुनिंदा वित्तीय अनुपातों का विश्लेषण किया है (हॉलमान, इरर्के, ग्रास 2007)। ये दोनों दस्तावेज वित्तीय अनुपातों के बारे में काफी महत्वपूर्ण समझ प्रदान करते हैं।

पुस्तक सूची

बार केट, (2008), एनालाइजिंग फाइनेंशल इन्फॉरमेशन यूजिंग रेश्योज़, 14 मार्च 2011 को नॉन प्रॉफिट असिस्टेंस फंड से लिया गया।
http://www.nonprofitsassistancefund.org/files/MNAF/ToolsTemplates/NonprofitFinancialRatios.pdf
ग्यूस ए.डी. (1997, मार्च-अप्रैल), दि लिविंग कंपनी, हारवर्ड बिजनेस रिव्यू।
हॉलमेन, ए.सी., इरके, डी.एम. एवं ग्रासे, एन.जे. (2007, 2 नंवबर), एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशल रेश्योज इन नॉनप्रोफिट मैंनेजमेंट, 14 मार्च 2011 को दि सेंटर ऑन फिलेन्थ्रोपी इन इंडियाना यूनिवर्सिटी से लिया गया
http://www.philanthropy.iupui.edu/education/Dec_4_Nonprofit_Presentation.ppt

---

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे लगभग 1500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंग्रेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - www.AccountAid.net. पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं।
हमारा फोन नंबर है 011-26343128; /फैक्स : 011-26343852
ई-मेलः query@accountaid.net

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६७ पौष, ईस्वी सन् दिसंबर 2010.
कु. पल्लवी सहगल द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली से मुद्रित।

लेखः श्री संजय अग्रवाल; अनुवादः श्री योगेन्द्र दत्त
डिज़ाइनः श्रीमती मोऊशुमी डे
केवल निजी प्रसार के लिए।

query@accountaid.net